

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन
योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद में वित्तीय
स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भ0प्र0/99/
2011-12, दिनांक 7.04.2011 के सन्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष
2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय
कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में
मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के अनुसूचित जाति
के कुल 104598 कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु
रु0 47,06,91,000/- (रु0 सैंतालिस करोड़ छः लाख इक्यानबे हजार मात्र) केन्द्रांश के रूप
में तथा राज्यांश की धनराशि रु0 15,68,97,000/- (रु0 पन्द्रह करोड़ अडसठ लाख सत्तान्बे
हजार मात्र) अर्थात् कुल रु0 62,75,88,000/- (रु0 बासठ करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठासी
हजार मात्र) (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय किये
जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान
करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि
मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष में मात्र 220 कार्य दिवसों तक सीमित रखा जायेगा एवं इसी
प्रकार कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह (दस माह)
के लिये ही ली जायेगी।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया
जायेगा ।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0
हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा
दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों /
प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिन्हित कुक कम
हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 6- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी
संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन0जी0ओ0,
वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में सम्बन्धित
कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।
- 7- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को
मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक-कम-हेल्पर
का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

- 8- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-03-मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा ।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1623/दस-2011, दिनांक 14.09.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।
- संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,
(बी०बी० सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- (1)/26-ब०प्र०-2011-तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन ।
 - 2- श्रमायुक्त, उ०प्र० ।
 - 3- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
 - 4- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकारण, उ०प्र० लखनऊ ।
 - 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र० इलाहाबाद ।
 - 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० इलाहाबाद ।
 - 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
 - 8- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्याह्न भोजन प्राधिकारण, उ०प्र०, लखनऊ ।
 - 9- समस्त मण्डलीय सहायक शि०नि०बे०, उ०प्र० ।
 - 10- समस्त जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/वित्त एवं लेखाधिकारी, बे०शि०, उ०प्र० ।
 - 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
 - 12- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ ।
 - 13- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,
(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव ।

Enclosure of G O No. 690/26-4090-2011-765/2010

दिनांक 16 डिसेंबर, 2011 को संलग्न

[Mid Day Meal Scheme]

Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers

FY 2011-12: Grant -83 (SCP) PLAN

1st Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (SCP category) working in 2010-11 as per information given by Districts in AWP	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 750/cook/month) being released as 1st installment	State Share Funds (@ Rs 250/cook/month) being released as 1st installment	Total Funds being released as 1st Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	AGRA	3032	6	136.440	45.480	181.92
2	ALIGARH	1225	6	55.125	18.375	73.50
3	ALLAHABAD	3725	6	167.625	55.875	223.50
4	AMBEDKAR NAGAR	1351	6	60.795	20.265	81.06
5	AURAIYA	548	6	24.660	8.220	32.88
6	AZAMGARH	3939	6	177.255	59.085	236.34
7	BADAUN	1712	6	77.040	25.680	102.72
8	BAGHPAT	319	6	14.355	4.785	19.14
9	BAHRAICH	2510	6	112.950	37.650	150.60
10	BALLIA	1406	6	63.270	21.090	84.36
11	BALRAMPUR	328	6	14.760	4.920	19.68
12	BANDA	1544	6	69.480	23.160	92.64
13	BARABANKI	1210	6	54.450	18.150	72.60
14	BAREILLY	906	6	40.770	13.590	54.36
15	BASTI	2208	6	99.360	33.120	132.48
16	BHADOHI	61	6	2.745	0.915	3.66
17	BIJNOR	1852	6	83.340	27.780	111.12
18	BULANDSHAHR	89	6	4.005	1.335	5.34
19	CHANDAULI	1380	6	62.100	20.700	82.80
20	CHITRAKOOT	1327	6	59.715	19.905	79.62
21	CSM NAGAR	1245	6	56.025	18.675	74.70
22	DEORIA	1070	6	48.150	16.050	64.20
23	ETAH	817	6	36.765	12.255	49.02
24	FAIZABAD	1411	6	63.495	21.165	84.66
25	FARRUKHABAD	249	6	11.205	3.735	14.94
26	FATEHPUR	1963	6	88.335	29.445	117.78
27	FIROZABAD	486	6	21.870	7.290	29.16
28	G. B. NAGAR	20	6	0.900	0.300	1.20
29	GHAZIPUR	1845	6	83.025	27.675	110.70
30	GHAZIYABAD	78	6	3.510	1.170	4.68
31	GONDA	1748	6	78.660	26.220	104.88
32	GORAKHPUR	1957	6	88.065	29.355	117.42
33	HAMIRPUR	1037	6	46.665	15.555	62.22
34	HARDOI	3252	6	146.340	48.780	195.12

